

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला - रायपुर (छ.ग.)

-: आदेश :-

क्रमांक 483/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020

रायपुर, दिनांक 08/06/2020

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत कबीर नगर ट्रेस ..... 02 ..... (थाना कबीर नगर.....) में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तथा कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1.	पूर्व में	LIG-25 ट्रेस-02 से LIG-38 तक
2.	पश्चिम में	LIG-25 ट्रेस-02 से MIG-डीलक्स 80 तक
3.	उत्तर में	LIG-25 ट्रेस-02 से MIG डीलक्स 89 आई एप्रैटी पार्कर तक
5.	दक्षिण में	LIG-25 ट्रेस-02 से LIG-30 तक

**A. कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-**

1. उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी /आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे।
2. उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे।
3. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति Incident Commander द्वारा दी जावेगी।
4. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
5. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन/मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर Incident Commander को सूचित किया जावे।
6. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
7. कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
8. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।



B. कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौपा जाता है :-

1. कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश/निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था हेतु बैरिकेडिंग	- श्री अश्विनव श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विधानसभा संभाग, रायपुर मो.न. 94241-20983
2. लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति	- श्री विश्वनाथ मुरवर्जी उप कमंडलाधिकारी, रायपुर कमंडल, रायपुर मो.न. 90092-40000
3. कन्टेनमेंट जोन में सेनेटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था	- श्री प्रवीण गहलोत जोन आमुक्त, जोन क्र. 08 रायपुर मो.न. 99774-24466
4. घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन	- श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.न. 94255-16797
5. उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु Incident Commander	- श्री यू.स्स. अग्रवाल संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय इकाधिकारी (नगर), रायपुर मो.न. 93290-20527
6. भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु	- श्री लक्ष्मी प्रकाश जयसवाल थाना प्रभारी, थाना- कबीर नगर, रायपुर मो.न. 94791-91283

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमोदित)



*Audaw*  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर (छ.प्र.)



पृ. क्रमांक/483 /अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 08/06/2020

- 1.अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2.सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3.सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 4.आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 5.पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7.आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8.अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), रायपुर/अभनपुर/आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. ~~श्री सु. यम. अग्रवाल~~ ~~संभुल कले~~ ~~रायपुर~~ Incident Commander को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्रीमती मीरा बघेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. ~~श्री सुनील शर्मा~~, नगर पुलिस अधीक्षक, ~~आजाद चौक~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. ~~श्री अर. के. जॉर्ड~~, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग ~~विधानसभा~~ रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. जोन आयुक्त जोन क्रमांक ~~08~~ नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. थाना प्रभारी, थाना ~~दुर्गा नगर~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व संबंधित..... जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



*Haudaw*  
अपर कलेक्टर  
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,  
रायपुर